भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 483

जिसका उत्तर सोमवार, 14 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की इकाइयां

483. श्री एम. बी. राजेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड़ इकाई को पृथक/सहायक कंपनी में बदलने और इस संबंध में परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कोई 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की किसी इकाई में भविष्य निधि तथा उपदान के बकाए के निपटान के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस लिमिटेड कंपनी की कम से कम लाभप्रद इकाइयों के लिए वेतन संशोधन को कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पुनर्गठन के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। इनमें से एक इस विकल्प पर विचार किया गया कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा से पलक्कड़ यूनिट को पृथक् कर दिया जाए। कंपनी ने 15.01.2014 को पलक्कड़ यूनिट को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बदलने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए एक निविदा प्रकाशित की थी, लेकिन केवल दो ऑफर प्राप्त हुए। तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा मूल्य बोली खोली गई है। कंपनी द्वारा एल 1 बोलीदाता को तकनीकी-वाणिज्यिक विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): वेतन संशोधन लोक उद्यम विभाग दवारा जारी मार्ग निर्देशों में दिए गए मानदंडों पर आधारित होता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की किसी यूनिट से पृथक करने अथवा अन्यथा से संबद्ध नहीं होता।

*****